

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार पटना।
*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 28/09/26

विषय:- पटना नगर निगम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में Construction of PMC Building at Nutan Rajdhani Anchal Office Premises के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु कुल रु० 2762.07 लाख मात्र की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु देनदारी की राशि में से तत्काल रु० 66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के विभिन्न नगर निकायों में कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक भवन का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में विभागीय स्वीकृतिरादेश संख्या-997, दिनांक-13.03.2025 द्वारा पटना नगर निगम अंतर्गत Construction of PMC Building at Nutan Rajdhani Anchal Office Premises के लिए कुल राशि रु० 2762.07 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। विभागीय राज्यादेश सं०-267, दिनांक-09.09.2025 द्वारा उक्त कार्य हेतु रु० 65.00 लाख रुपये, राज्यादेश सं०-435, दिनांक-15.01.2026 द्वारा रु० 35.00 लाख रुपये एवं राज्यादेश संख्या-85, दिनांक-25.06.2026 द्वारा रु० 66.00 लाख अर्थात् कुल रु० 166.00 लाख आवंटित किया गया है।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना का पत्रांक-14084, दिनांक-21.08.2026 द्वारा नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Construction of PMC Building at Nutan Rajdhani Anchal Office, Premises Patna के निर्माण कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध प्राप्त पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्न तालिका के स्तम्भ-02 में अंकित नगर निकाय को स्तम्भ-04 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित तत्काल राशि कुल रु० 66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये) मात्र नगर निकायों में प्रशासनिक भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार मद से सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	पी०एल० खाता संख्या/एच०ओ०ए० संख्या	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित कुल राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, पटना	PTCPLA021/00-8448-00-102-0001-00-01	प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य	2762.07	166.00	66.00	2530.07

(अर्थात् कुल स्वीकृति की राशि रु० 66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये) मात्र)

4. उक्त स्वीकृत रू० 66.00 लाख (छियासठ लाख रूपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि उपरोक्त कंडिका-3 में अंकित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित पी०एल० खाता संख्या एवं एच०ओ०ए० संख्या में सी०एफ०एम०एस० के माध्यम से Inter Departmental विधि से ऑनलाईन हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं की जायेगी।
5. राज्य योजनाओं एवं अन्य समरूप योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त स्वीकृत कुल रू० 66.00 लाख (छियासठ लाख रूपये) मात्र की निकासी माँग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0105-नगर निकायों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217011910105, विषय शीर्ष-0105.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के से की जाएगी।
7. योजना का क्रियान्वयन ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कराया जाएगा।
8. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम-431 के आलोक में यथा बीटीसी फॉर्म सं०-42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04.15/2009.9736, दिनांक-09.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 (इ) के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. उक्त योजना का क्रियान्वयन नगर निगम, पटना द्वारा किया जाएगा।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ सं०-45 /टि० पर दिनांक-17.09.24.....को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-46 /टि० पर दिनांक-23.09.24.....को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

स्तापक 173

सरकार के संयुक्त सचिव।

दिनांक 28/09/26

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ विभागीय मंत्री के आस सचिव/प्रधान सचिव के आस सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 14, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।